संख्या-15/2023/673/तेईस-7-2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 09 जून, 2023

विषयः- श्री शंकर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त, स्टोर कीपर, अनु0 खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-1157व्यग/01व्यग(45)/2023, दिनांक 22.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शंकर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त, स्टोर कीपर, अनु0 खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी का उपचार मेंदाता हॉस्पिटल, लखनऊ, में दिनांक 05.04.2021 से 12.04.2021 तथा दिनांक 15.04.2021 से 01.05.2021 तक कराया गया। उक्त चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 9,45,176.00 /-(रूपये नौ लाख पैतालिस हजार एक सौ छियेत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने का दावा प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ने उक्त दावें का परीक्षण कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत करने के उपरान्त रू0 7,72,836.00/-(रूपये सात लाख बहत्तर हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित करते हुए अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र-बी पर अनुमन्य धनराशि अंकित कर प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

2- अतएव श्री शंकर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त, स्टोर कीपर, अनु0 खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि रू0 9,45,176.00/-(रूपये नौ लाख पैतालिस हजार एक सौ छियेत्तर मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा संस्तुत धनराशि रू 7,72,836.00/-(रूपये सात लाख बहत्तर हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) की प्रतिपूर्ति नियमानुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2014 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रतिपूर्ति दावें की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक"2071-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेन्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03- निदेशन के 49-चिकित्सा व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(राजेश प्रताप सिंह)

संख्या-15/2023/673(1)/23-7-2023 तद्दिनांक

उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधिशासी अभियन्ता, अनु0खण्ड-3 (सिविल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- श्री शंकर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त, स्टोर कीपर, अनु0 खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।